

१[नियम 31क : लॉटरी, बाजी, दृश्यत तथा घुड़दौड़ की दशा में आपूर्ति का मूल्य]

(१) इस अध्याय के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में मूल्य, इसमें इसके पश्चात् उपबोधित रीति से अवधारित किया जाएगा।

२[२] लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100 /^३[140], इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “आयोजनकर्ता राज्य” पद का वही अर्थ होगा जो लॉटरी (विनियम) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (१) के खंड (च) में उसका है।

(३) बाजी में जीतने के मौके के रूप में, दृश्यत या दौड़ क्लब में घुड़दौड़ के अनुयोज्य दावे की आपूर्ति का मूल्य, बाजी के अंकित मूल्य या टोटलाइजर में संदर्भ रकम का सौ प्रतिशत होगा।

१ अधिसूचना क्रमांक ३/२०१८—केन्द्रीय कर, दिनांक २३.०१.२०१८ द्वारा नियम 31क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक २३.०१.२०१८)।

२ अधिसूचना क्रमांक ८/२०२०—केन्द्रीय कर, दिनांक ०२.०३.२०२० द्वारा उपनियम (२) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक ०१.०३.२०२०)। प्रतिरक्षापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“(२)(क) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी की आपूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100 / ११२ या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;

(ख) जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी की आपूर्ति का मूल्य, अंकित मूल्य का 100 / १२८ या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियाँ –

(क) ‘राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी’ से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी;

(ख) ‘राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी’ से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है; और

(ग) “आयोजित करने वाले राज्य” का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी (विनियम) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम (१) के खंड (च) में दिया गया है।”

३ अधिसूचना क्रमांक १३/२०२५—केन्द्रीय कर, दिनांक १७.०९.२०२५ द्वारा “१२८” प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक २२.०९.२०२५)।